


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1051 / 2010.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मै0 सुजाता केरिंग कारपोरेशन बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी पी औझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी के द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	


 (मनोहर पुरी) 27/3/15
 सदस्य